

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 27 के नियम 1 व 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय, माननीय राज० उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस०बी०सि०रि०पि० संख्या 2329/2014 श्रीमती निशा माथुर एवं अन्य समान विषय की 58 रिट याचिकायें एवं याचिका संख्या 3899/2014 रेणू शर्मा व अन्य 4 (ए०एन०एन०) बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2014 एवं 31.07.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में राजस्थान राज्य के लिये और उसकी ओर से डी०बी० स्पे० अपील दायर करने, अपील पर हस्ताक्षर करने, सत्यापित करने एवं सम्बन्धित समस्त कार्यवाही करने के लिये मुख्य लेखाधिकारी (प०क०), मुख्यालय को प्रभारी अधिकारी केस नियुक्त करते हैं।

प्रभारी अधिकारी को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे राजस्थान विधि एवं वैधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 में उल्लेखित प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तत्काल पश्चात अन्य कार्यवाही के साथ-निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगे :-

1. प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी तारीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
2. न्याय विभाग को प्रपत्र ALERT LETTER की सूचना तत्काल प्रेषित करेंगे।
3. प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित सभी पत्रावलियां/दस्तावेज/ अधिनियम/ नियम/ विनियम/ परिपत्र/ दिशा-निर्देश/ अधिसूचना/ आदेश/ सूचना एवं सुसंगत तथ्य एकत्रित करेंगे।
4. प्रकरण में उठाये गए सभी तथ्य एवं बिन्दुओं पर प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त कर ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रकरण का पैरा क्रमानुसार प्रतिवेदन तैयार करते हुए एवं ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंकित करते हुए जो राजकीय अधिवक्ता एवं राज्यपक्ष के प्रतिरक्षण/ पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/ सहायक हों, प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रभारी अधिकारी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ संलग्न प्रपत्र क में उपलब्ध करावेंगे जिसमें प्रकरण की पैराक्रमानुसार तथ्यात्मक स्थिति के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार विवरण एवं घटनाक्रम, संबंधित नियम, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं दिशा निर्देश और यदि पूर्व में समान बिन्दुओं पर निर्णित उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के निर्णय Annexure-A-(संलग्न) List/Details of Dates and Events, Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc, Courts Judgments under relevant & reference.) भी स्वयं के ज्ञान व विभाग के रिकार्डनुसार ज्ञात कर इस ब्रीफ में सम्मिलित किए जाएंगे।
6. न्यायालय में दायर किए जाने वाले वाद/ अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/विविध प्रार्थना पत्र आदि के संबंध में विभागीय तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण/ आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण करेंगे, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
7. उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित कथन/ प्रत्युत्तर/ अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/ रिट याचिका/ प्रार्थना पत्र आदि तैयार करवाया जावेगा और प्रारूपित दस्तावेज एवं स्वयं एवं राजकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों के सत्यापन/ प्रमाणीकरण/ अनुमोदन हेतु प्रशासनिक अनुभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।
8. न्यायालय में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगे।
9. प्रकरण में न्यायालय में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वयं एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।
10. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर राजकीय अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे, साक्ष्य, अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुभाग संबंधित कार्यालय/ अधिकारी से ज्ञात करके न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे। इस हेतु प्रभारी अधिकारी प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगे।
11. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी का कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी का पत्रावली पर अंकन कर विभाग को अवगत करावेंगे और LITES के प्रपत्र 7 में आगामी तारीख का व्यक्तिशः इन्द्राज करवायेंगे।
12. प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय से कोई आदेश, निर्देश, निर्णय पारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों सहित उसी दिन जानकारी/ सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी और न्यायालय के उक्त निर्देश/ आदेश/ निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
13. न्याय विभाग को निर्धारित प्रपत्र Court Order Information में निर्णय की सूचना देनी होगी।
14. प्रकरण में स्वयं की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ न्यायालय के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
15. Case Alert, order Alert एवं reminders का प्रतिउत्तर प्रभारी अधिकारी स्वयं न्याय विभाग को प्रस्तुत करवायेंगे और न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में सम्पादित कार्यवाही एवं प्रगति से भी से न्याय विभाग को समय-समय पर अवगत करवाया जावेगा।
16. विभाग के विरुद्ध पारित निर्णय के संदर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक प्रभारी अधिकारी का दायित्व निरन्तर रहेगा।
17. प्रभारी अधिकारी वादकरण प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबसाईट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संचारण करेंगे एवं LITES/ Updation Center को समय-समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
18. प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण/ सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर न्यायालय में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी का उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा स्थिति में अंतिम वेतन भुगतान प्रपत्र (एलपीसी) जारी नहीं होगी।
19. यदि प्रभारी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो स्वयं को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक :- 1-10-14

क्रमांक : प.3(एन-1113) निचिस्वा/विधि/2014/ 281

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (विधि), राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को पैरवी हेतु की गई नियुक्ति का अनुमोदन कराने का श्रम करें।
2. निदेशक (प०क०), मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को माननीय न्यायालय के निर्णय की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख प्रभारी अधिकारी केस को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करावें ताकि प्रकरण में तुरन्त डी०बी० दायर हो सकें। संलग्न-उपरोक्तानुसार।
4. प्रभारी अधिकारी केस मुख्य लेखाधिकारी (प०क०), मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में अदिलम्ब श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से समस्त सुसंगत अभिलेख सहित तुरन्त सम्पर्क कर उक्त याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2014 एवं 31.07.2014 के विरुद्ध डी०बी० स्पे० अपील दायर कराने की कार्यवाही करें एवं प्रत्येक सुनवाई दिनांक को माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही/प्रगति से एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत कराते रहें एवं डी०बी० की प्रति अदिलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी उपलब्ध करवावें। संलग्न-उपरोक्तानुसार। (निर्देश व रिपोर्ट)
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है उक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों से दस्तावेज/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा माननीय न्यायालय में डी०बी० दायर कराने की कार्यवाही कराने में केस प्रभारी अधिकारी को सहयोग प्रदान करावें।
6. उप निदेशक, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/जैसलमेर/जालौर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/बांसवाड़ा/नागौर/चुरू/चित्तौड़गढ़/श्रीगंगानगर/झुंझारपुर/हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करावें ताकि उनके द्वारा माननीय न्यायालय में डी०बी० दायर कराने की कार्यवाही कराई जा सकें।
8. श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम को मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड एवं ई-मेल करने बाबत।
10. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि पामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
10/1/2014